न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2023/152 दर्ज दिनांक– 06.04.2023
मुकदमा नम्बर 22/2023

रामसिंह उर्फ श्रीराम पुत्र श्री मनसाराम जाति जाट निवासी कैरू, तहसील नवलगढ जिला झुझंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़ –अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री शिशुपाल सिह कुलहरी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 24.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम कैरू पटवार हल्का चैलासी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 187 पुराना 153 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 497 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 498 रकबा 0.91 है0, खसरा नं. 499 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 500 रकबा 1.00 है0, खसरा नं. 501 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 502 रकबा 2.25 है0, खसरा नं. 503 रकबा 0.04 है0 ,खसरा नं. 504 रकबा 2.22 है0 , खसरा नं. 505 रकबा 0.05 है0 , खसरा नं. 506 रकबा 2.34 है0 , खसरा नं. 507 रकबा 1.13 है0, खसरा नं. 508 रकबा 1.05 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 11.06 है0 भूमि जिसके रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीराम पुत्र मनसाराम के स्थान पर राम सिंह पुत्र मनसाराम दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रकरण में अनावेदक तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट 507 दिनांक 22/02/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार नामान्तकरण सं. 1255 दिनांक 6.06.2023 द्वारा नाम शुद्व किया जाकर दर्ज किया जा चूका है।

प्रकरण मे प्रा. पत्र द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त किया जा चूका है। अब इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला–झुझंनू

Scanned with CamScanner